150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान–सरकार

Government Of Rajasthan

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सावर

OFFICE OF THE ASSISTANT MINING ENGINEER, DEPT. OF MINES AND GEOLOGY, SAWAR

खनिज–भवन / khanij Bhawan,बालाजी मार्बल के पीछे, अजमेर रोड, सावर (राज.)

क्रमांक–सखअ / सावर / बजरी / 2021–22 / 858 दिनांकः– 15/12/2021

नीलामी विज्ञप्ति प्रकाशन 02 / 2021

अजमेर जिले के पुलिस थाना सावर / केकडी क्षेत्र में अवैध खनन / निर्गमन चैंकिग के दौरान जब्तशुदा खनिज बजरी की नीलामी हेतु सीलबंद लिफाफे में निविदाएं (दरें) दिनांक 04.01.2022 (प्रातः 9:30 बजे से सांय 5:00 बजे तक) कार्यालय सहायक खनि अभियंता, सावर (अजमेर) के कमरा नम्बर 01 में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त सिलबंद लिफाफे कमेठी द्वारा दिनांक 05.01.2022 को दोपहर 3:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कार्यालय के कमरा नम्बर 02 में खोली जायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

(न्यूनतम आरक्षित दर 405 / – प्रति टन)

क्रं. सं.	स्थान का नाम (जहां जब्तशुदा बजरी पडी है।)	बजरी की अनुमानित मात्रा(टनों में)	बयाना / अमानता राशि रू.	न्यूनतम निविदा राशि रू.
1.	कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सावर जिला अजमेर के परिसर में।	1240	50,220 / –	5,02,200 / –

निलामी कार्यवाही हेतु शर्तें निम्नानुसार रहेगीः–

1. निविदा सीलबन्द लिफाफें में प्रस्तुत करनी होगी । लिफाफें पर स्पष्ट रूप से पुलिस थाना / क्षेत्र / स्थल का नाम जहां बजरी पडी है, लिखा होना चाहिये। सभी निविदायें कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, सावर, (अजमेर) के कमरा नम्बर 01 पर रखें टेन्डर बोक्स में दिनांक 04.01.2022 (प्रातः 9:30 बजे से सांयकाल 5 बजे) तक डाली जा सकेगी।
2. प्रत्येक निविदा के साथ उपर वर्णितानुसार बयाना / अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बेकर्स चैक जो संबंधित सहायक खनि अभियन्ता, सावर के नाम हो, निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा। निविदा राशि 10 रू प्रति टन के गुणक में ही मान्य होगी।
3. निविदा पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि निविदादाता या निविदादाता फर्म, फर्म के भागीदारों / कम्पनी, कम्पनी के निदेशकों या उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है।
4. जब्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथी से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में संबंधित कार्यालय परिसर / स्थल पर किया जा सकता है। इसकी जानकारी कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, सावर के तकनिकी स्टाफ से भी ली जा सकती है।
5. जब्तशुदा बजरी संबंधित कार्यालय सहायक खनि अभियंता, सावर / स्थल में जेसी भी जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपूर्द की जावेगी।
6. प्राप्त निविदायें कमेटी द्वारा दिनांक 05.01.2022 को दोपहर 3 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, सावर के कमरा नम्बर 02 में खोली जाकर उच्चतम निविददाता की

घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। आदेश प्राप्ति के तीन कार्यदिवस में सम्पूर्ण निविदा राशि के डी.डी. के साथ–साथ संबंधित बजटमद में जमा कराकर चालान की प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी। राशि जमा होने की तिथी से 15 एवं अधिकतम् 20 दिवस में समस्त बजरी उठानी होगी। अन्यथा जमा अमानत राशि जब्त करते हुए बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जावेगी।

7. निविदादाता को खनिज बजरी के स्टॉक के उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, मजदूरी व परिवहन इत्यादि अन्य खर्चे) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय निविदादाता का ही होगा ।
8. निविदादाता को पहचान पत्र/फोटो आई डी इत्यादि की प्रति, फर्म कें मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्त्यारनामा यदि जारी किया गया हो तथा कम्पन्नी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ अर्टिकल, निवेशकों की सूची इत्यादि की प्रति साथ में लानी होगी।
9. निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।
10. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उर्ज/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होगा एवं किसी भी न्यायिक वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र सावर जिला अजमेर होगा।
11. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरान्त कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, सावर द्वारा वाहन के वजन क्षमतानुसार रवन्ना जारी किये जायेंगे तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी खनिज बजरी से भरा वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
12. सफलतम निविदादाता को राशि जमा कराने के पश्चात अधिकतम 20 दिवस में खनिज बजरी उठानी प्रारम्भ करनी होगी व एक ही साथ अधिकतम 7 दिवस में बजरी उठानी होगी।
13. 1240 टन खनिज बजरी को एक ही समय पर (अधिकतम 7 कार्यालय दिवस में) कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा।
14. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इंद्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जायेगा तथा कार्यालय द्वारा जारी रवन्ना का विवरण संबंधित अ.ख. अ., ख.अ., ख.अ.(सर्तकता) को भेजा जायेगा।
15. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना वाहनों की फोटो एवं कम्प्यूटरीकृत/अधिकृत तुलायंत्र की वजन पर्ची क्षेत्र में संबंधित उपर अंकित अधिकारियों को व्हाटसअप पर भेजने के पश्चात ही वाहनों को रवाना किया जा सकेगा।
16. नीलामी की गई बजरी का पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा।सफलतम निविदादाता बजरी को सीधे ही उपयोगिता स्थान पर परिवहन करेगा।
17. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक की फोटों वाहनों की तोल पर्चियां एवं भरे हुए वाहन की फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।
18. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः निलामी कर सकेगा और इसमें सफल निविदादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
19. सफल निविदादाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राईविंग लाईसेंस की प्रति संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।
20. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मेन्युअल रवन्ना जारी किया जावेगा।
21. खनिज के परिवहन में जीपीएस युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी।
22. शेष सभी शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार रहेगी।

(मनोज कुमार तंवर)
सहायक खनि अभियंता
खान एवं भू–विज्ञान विभाग
सावर।

क्रमांकः—सम/859—875

दिनांकः— 15/12/2021

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, अजमेर।
2. श्रीमान निदेशक महोदय, खान एवं भू—विज्ञान विभाग, निदेशालय, उदयपुर।
3. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, अजमेर।
4. नोडल अधिकारी, डी.एम.जी.ओ.एम.एस., खान एवं भू—विज्ञान विभाग निदेशालय,उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें !
5. श्रीमान वित्तीय सलाहकार, निदेशालय खान एवं भू—विज्ञान विभाग, उदयपुर।
6. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जयपुर—जोन, जयपुर।
7. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियंता, अजमेर—वृत, अजमेर।
8. श्रीमान खनि अभियन्ता, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि नीलामी हेतु प्राप्त होंने वाली निविदाएं दिनांक 05.01.2022 को दोपहर 3:00 बजे इस कार्यालय के कमरा नं. 02 मे खोली जावेगी! चूंकि निदेशालय के आदेश क्रमांक SP-10 दिनांक 23.10.2018 द्वारा इस हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष संबधिंत खनि अभियन्ता है। अंतः उक्त तिथि को कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता सावर मे उपस्थित होने का कष्ट करावें!
9. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, केकडी।
10. श्रीमान तहसीलदार, सावर।
11. श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक,केकडी, अजमेर।
12. थानाधिकारी, पुलिस थाना, सावर/केकडी/सरवाड/भिनाय/सराना।
13. सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय हाजा।
14. खनिकार्यदेशक/सर्वेयर कार्यालय हाजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहायक खनि अभियंता
खान एवं भू—विज्ञान विभाग
सावर।